न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/42/2020	2020/00072	18–09–2020	15–02–2021

01– देवकरण पुत्र भम्बू जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौढाणिया तहसील बानसूर जिला अलवर।

02– तोताराम पुत्र भम्बू जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौढाणिया तहसील बानसूर जिला अलवर। –अपीलांट

बनाम

01– नायब तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर। –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बानसूर दिनांक 09.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 16/2020

उपस्थितः–

01–श्री नरेश चौधरी –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलांट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 09.09.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम चौढाणिया की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 660 रकबा 8.17 है0 में से 0.37 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम चौढाणिया की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 660 रकबा 8.17 है0 में से 0.37 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 को अपीलांट्स को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को बेदखल किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 09.09.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकरन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ–पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 18.09.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा नायब तहसीलदार बानसूर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित तीन माह की सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है तथा नायब तहसीलदार बानसूर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलांट का वर्तमान में अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलांट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है तो अपीलांट के विरूद्ध धारा 91(6) के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/2/21

(कमलराम मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)